

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

11, अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1313-ए/ रा०वि०प० (प्र)-600/1960

दिनांक 4 फरवरी, 1972।

मुख्य अभियन्ता,

उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्,

लखनऊ।

महाप्रबन्धक,

कानपुर विद्युत् सम्पत्ति प्रशासन,

कैला हाउस, कानपुर।

विषय :—बाह्य पदों के लिए परिषदीय अभियन्ता अधिकारियों/अधिकारिकों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

परिषदाज्ञा संख्या-6000-ए/ रा०वि०प० (प्र)-600 / 60, दिनांक 10 अगस्त, 1971 के आशोधन में मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि बाह्य पदों के लिए अभियन्ता अधिकारियों/अधिकारिकों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण अब निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(अ) स्थाई कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण

1. (क) किसी भी स्थायी कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा-काल में बाहरी पदों के लिए छः (6) में अधिक आवेदन-पत्र अप्रसारित नहीं किए जाएंगे। 1 जनवरी, 1970 के पूर्व अप्रसारित आवेदन-पत्रों की गणना इस सम्बन्ध में नहीं की जायेगी।
- (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिए आवेदन-पत्र अप्रसारित नहीं किया जाएगा।
- (ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा विज्ञापित पदों की बाहरी पदों की श्रेणी में समझा जायेगा, उदाहरणार्थ, संघ लोक सेवा आयोग, अन्य प्रदेशों के आयोग, सरकारी क्षेत्र के निगमों आदि द्वारा विज्ञापित पद।

2. यदि आवेदनकर्ता स्थायी राजपत्रित कर्मचारी है तो उसे आवेदन पत्र देने की सुविधा अपा-विधिक तथा प्राविधिक सेवा-पद के लिए निम्नांकित आयु सीमा तक उपलब्ध रहेगा :—

अप्राविधिक सेवापद के लिए ————— 40 वर्ष तक।

प्राविधिक सेवापद के लिए ————— 45 वर्ष तक।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष अधिक रहेगी। यदि किसी बाहरी सेवापद के लिए संघ लोक सेवा आयोग आदि द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में

आयु-सीमा 10-15 वर्ष में अधिक निर्धारित हो तो उसके लिए दिये गये आवेदन-पत्रों के गुणावगुण पर विचार कर आयु-सीमा के प्रतिबन्ध में छूट दी जा सकेगी।

3. उपरोक्त आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो अपने पदों पर स्थायी हैं। यदि किसी स्थायी अराजपत्रित कर्मचारी की किसी राजपत्रित पद पर अस्थायी नियुक्ति हो तो उसे इस आदेश के प्रयोजन के लिए अराजपत्रित ही माना जायगा और उपरोक्त पैरा (2) के आदेश उस पर लागू नहीं होंगे।

4. परिपद लोक हित में किसी कर्मचारी के आवेदन-पत्र को अपने विवेकानुसार रोक सकता है।

✓ (ब) अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण

1. साधारणतया अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र बाहरी सेवा के लिए अग्रसारित किए जायेंगे। अग्रसारित करते समय इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कर्मचारी परिपद में अस्थायी पद पर नियुक्त है और पद का वर्णन व वेतन-क्रम को भी स्पष्ट कर देना चाहिए।

2. यदि उक्त कर्मचारी उक्त पद के लिए चुन लिया जाता है और परिपद में सेवाओं को छोड़कर बाहरी सेवा में बढ जाना चाहता है तो उसको लिखित प्रार्थना पर उसे सेवाओं से मुक्त किया जायेगा परन्तु यदि कोई Indemnity Board उस पर लागू है तो उसकी जर्तें लागू रहेंगी।

3. ऐसे मुक्त किये गये कर्मचारियों का भविष्य में किसी भी समय उस पद पर वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं होगा जिम पद पर मुक्ति से पूर्व वह नियुक्त था।

4. गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिये किसी स्थायी कर्मचारी का आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं किया जायगा। केवल अस्थायी कर्मचारियों का ही अग्रसारित किया जायगा।

भवदीय,

राधेश्याम अग्रवाल

उप-सचिव।

संख्या—1313-ए/(1) /रा०वि०प० (ब)—60.1/1960, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत् परिपद, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (अनुरक्षण एवं वाणिज्य), उ० प्र० राज्य विद्युत् परिपद, लखनऊ।
3. उपमुख्य अभियन्ता, ओबरा।
4. उपमुख्य अभियन्ता, हरदुआमंज।
5. गमस्त अधीक्षण अभियन्ता।
6. गमस्त अधीक्षणी अभियन्ता।

आज्ञा से,

राधेश्याम अग्रवाल

उप-सचिव।